



सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन

स्रोत: द हट्टि

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी **75वीं वर्षगाँठ (हीरक जयंती)** के उपलक्ष्य में लंबे समय से लंबित विवादों को हल करने के लिये एक सप्ताह तक चलने वाला विशेष लोक अदालत अभियान शुरू किया है।

- इस पहल का उद्देश्य **लंबित मामलों से नपिटना और त्वरति न्याय** प्रदान करना है।
- इस पहल में सर्वोच्च न्यायालय की पहली सात पीठें शामिल हैं, जसिमें **मुख्य न्यायाधीश** पाँच सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करते हैं, जसिमें प्रमुख न्यायाधीश और कानूनी पेशेवर शामिल हैं।
- **कवर कयि गए मामले:** इसमें वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवज़ा और सेवा एवं श्रम मुद्दे शामिल हैं।
 - लंबित मामलों वाले नागरिकों को सौहार्दपूर्ण और त्वरति समाधान के लिये भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
- इस अभियान में विवाद समाधान को सुवधाजनक बनाने के लिये एक **अनौपचारिक, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान** का उपयोग किया जाता है, जसिसे यह प्रक्रिया जनता के लिये अधिक सुलभ और कुशल हो जाती है।
- लोक अदालत **गांधीवादी सिद्धांतों** पर आधारित अनौपचारिक, स्वैच्छिक और सुलहनीय विवाद समाधान मंच हैं, जनिहें **वधिकि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।
 - यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली का एक घटक है जो आम लोगों को **अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय** प्रदान करता है।





//

और पढ़ें: [सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती](#)